न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नम्बर 2025/372

मुकदमा नम्बर 110/2025

दर्ज दिनांक–07.07.2025

दीनदयाय उर्फ दीनदयाल जांगिड पुत्र बृजलाल जांगिड जाति जांगिड निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ, जिला–झुझुंनू

– आवेदक

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील वादी : – प्रार्थी स्व0यं

वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 07.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल. आर. अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोहनवाडी तहसील नवलगढ की सरहद में नई खाता संख्या 137 पुराना 105 भूमि खसरा नम्बर 1134/588 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म बारानी के राजस्व रिकॉर्ड काश्तकार संख्या 1 पर दर्ज दीनदयाय पुत्र बृजलाल के स्थान पर दीनदयाल जांगिड पुत्र बृजलाल जांगिड दुरूस्त करने बाबत।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक कि और से पैरोकार राज उपस्थित हो रिर्पोट पेश की गई। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के मुतागिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 के अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। प्रार्थना पत्र वादीगण का प्रार्थना पत्र के समर्थन मं प्रस्तुत शपथ पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रकरण में तहसीलदार की रिर्पाट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक को प्रार्थना पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मोहनवाडी तहसील नवलगढ की सरहद में नई खाता संख्या 137 पुराना 105 भूमि खसरा नम्बर 1134/588 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म बारानी के राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

काश्तकार संख्या 1 पर दर्ज **दीनदयाय पुत्र बृजलाल के स्थान पर दीनदयाल जांगिड पुत्र बृजलाल जांगिड** दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो । निर्णय/आदेश आज **दिनांक 07.07.2025** को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)